पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–21] रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 जुलाई, 2020 ई0 (आषाढ़ 20, 1942 शक सम्वत्) [संख्या–23

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	385–406	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	319–325	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–6

अधिसूचना

12 जून, 2020 ई0

संख्या 34/XXX(6)/20–20(02)2014–उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 एवं उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधित) अधिनियम, 2014 की धारा 13(1) एवं धारा 15 के प्राविधानान्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल, श्री एस0 रामास्वामी को "उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग" के मुख्य आयुक्त के पद पर नियुक्ति प्रदान करते है।

2. यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15 (3) के अधीन श्री रामास्वामी के शपथ ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। श्री रामास्वामी द्वारा उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण, उक्त अधिनियम की धारा 15 (2) के अनुरूप किया जा सकेगा।

3. यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा 15(1) के अनुरूप श्री एस0 रामास्वामी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, के लिए होगी।

4. मुख्य आयुक्त उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा 15(5) के अनुरूप होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

उत्पल कुमार सिंह,
मुख्य सचिव।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2

कार्यालय ज्ञाप

28 मई, 2020 ई0

संख्या 220/VII-A-2/2020/40–सिडकुल/2019–राज्यपाल, उत्तराखण्ड, भारत सरकार के **"मेक इन इंडिया कार्यक्रम"** के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में रक्षा और ऐयरोस्पेस उपकरणों/उप–प्रणालियों/घटकों और उपभोग्य सामग्रियों के स्वदेशी डिजाइन विकसित और निर्माण (IDDM) को औद्योगिक आधार पर विकसित करने और राज्य के प्रतिभाशाली मानव पूंजीशक्ति का सदुपयोग करके, एयरोस्पेस (रोटरी विंग विमान) और रक्षा उद्योगों से सम्बन्धित इंजीनियरिंग, डिजाइन, विनिर्माण और सहबद्ध गतिविधियों के क्षेत्र में भारत के पसंदीदा गन्तव्य के रूप में स्वयं को स्थापित करने के उद्देश्य से **"उत्तराखण्ड एयरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक नीति, 2020"** बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

"उत्तराखण्ड एयरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक नीति, 2020"

1. परिचय

बढ़ते रक्षा खर्च, वाणिज्यिक विमानन बाजार में आयी अभूतपूर्व वृद्धि और एक कठिन परिवेश के परिणामस्वरुप भारत एक स्थापित प्रमुख रक्षा और एयरोस्पेस बाजार है। एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग के अंतर्गत वाणिज्यिक और सैन्य विमान, मिसाइल, अंतरिक्ष यान, रक्षा प्रणाली, अंतरिक्ष अन्वेषण प्रणाली आदि के डिजाइन, परीक्षण, विकास, निर्माण और रखरखाव की इकाइयां सम्मिलित हैं।

भारत की रक्षा उत्पादन नीति, **"मेक इन इंडिया कार्यक्रम"** के अंतर्गत रक्षा और ऐयरोस्पेस उपकरणों/उप–प्रणालियों/घटकों और उपभोग्य सामग्रियों के स्वदेशी डिज़ाइन विकसित करने और निर्माण (IDDM) को प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा, भारत की रक्षा ऑफसेट नीति जो घरेलू रूप से उत्पादित रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की अनिवार्य ऑफसेट आवश्यकता को निर्धारित करती है, यह सुनिश्चित करेगी कि आपूर्तिकर्ताओं के लिए देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र (Eco-system) घरेलू रूप से विकसित हो सके। एयरोस्पेस और रक्षा ऑफसेट दायित्वों के तहत 15 वर्षों की अवधि में घरेलू उद्योगों के लिए संचयी अवसरों का अनुमान लगभग 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर है।

भारत में एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में आज उपलब्ध अवसरों के बढ़ने के कारणों में से एक यह है कि कई मूल उपकरण निर्माता (OEM) अपने आधार केन्द्र को भारत में स्थानांतरित कर रहे हैं।

2. दृष्टि और उद्देश्य

अपने औद्योगिक आधार और प्रतिभाशाली मानव पूंजीशक्ति का समुचित दोहन करके, एयरोस्पेस (रोटरी विंग विमान) और रक्षा उद्योगों से सम्बंधित इंजीनियरिंग, डिजाइन, विनिर्माण और सहबद्ध गतिविधियों के क्षेत्र में उत्तराखंड को भारत के पसंदीदा गन्तव्य के रूप में स्थापित करना।

वर्तमान नीति निम्नलिखित उद्देश्यों से तैयार की गई है:–

क) एयरोस्पेस सेक्टर (रोटरी विंग) के विकास के लिए एक सर्वांगीण पारिस्थितिकी तंत्र (एंड–टू–एंड इको–सिस्टम) का निर्माण करना, जिसके अंतर्गत सिविल और रक्षा क्षेत्र के लिए रोटरी विंग विमानों के डिजाइन, इंजीनियरिंग और विनिर्माण का कार्य हो।

ख) 5 वर्षों में लगभग एक लाख व्यक्तियों के लिय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करना।

ग) विनिर्माण और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्तराखंड की निहित शाक्तेयों का एयरोस्पेस (रोटरी विंग) और रक्षा विनिर्माण में अवसरों की खोज के लिए दोहन करना।

घ) उत्कृष्टता केंद्र(Centre of Excellence), अनुसंधान एवं विकास (R & D) और कौशल विकास संस्थानों की स्थापना करके उच्च स्तर के विनिर्माण के लिए एक वैश्विक कार्यबल तैयार करना।

ङ) आवश्यक सुविधा और सहयोग प्रदान करके वैश्विक मूल उपकरण निर्माता (ओईएम), टियर–1 आपूर्तिकर्ताओं और प्रमुख भारतीय बड़ी कंपनियों को राज्य में एंकर यूनिट्स(Anchor units) की स्थापना हेतु आकर्षित करना।

3. **उत्तराखण्ड राज्य को लाभ**

क) उत्तराखंड औद्योगिक रूप से विकसित और विविध औद्योगिक आधार के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में, वर्ष 2011–12 से वर्ष 2018–19 (AE) के बीच मौजूदा मूल्य के आधार पर लगभग 10.85 प्रतिशत की संचयी वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) में अभिवृद्धि हुई है। राज्य का मजबूत आर्थिक विकास, मुख्य रूप से उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के उत्कृष्ट प्रदर्शन की देन है।

ख) राज्य से हर वर्ष देश के सैन्य बलों में सबसे अधिक संख्या में राज्य के नौजवान सम्मिलित होते हैं। उत्तराखंड निजी क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने में अग्रणी है। समस्त राज्यों में से उत्तराखण्ड राज्य में इंजीनियरिंग तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति अन्तर्ग्रहण की क्षमता है।

ग) पर्यावरण के हिसाब से उत्तराखंड ऑप्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऐसे उद्योग, जिनसे न्यूनतम प्रदूषण होता है, के लिए अनुकूल हैं। उत्तराखंड शून्य अपराध दर वाले अग्रणी राज्यों तथा देश के सबसे शांतिप्रिय राज्यों में से एक है।

घ) राष्ट्रीय राजधानी (नई दिल्ली) तक आसान पहुंच और उत्कृष्ट संचार नेटवर्क, उत्तराखंड में उद्योगों के लिए विपणन, माल की आवाजाही तथा हितधारकों के साथ परस्पर संवाद और गतिविधियाँ को आसान बनाती है।

ङ) भारतीय सेना की प्रमुख संस्था भारतीय सैन्य अकादमी, जो भविष्य के रक्षा कमांडरों को तैयार करती है, देहरादून में स्थित है, जो उद्योगों को भविष्य के हितधारकों की तकनीकी समझ को आकार देने के लिए एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

च) उत्तराखंड में रक्षा उत्पादों के कई केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, आयुध कारखाना और सैन्य अनुसंधान विकास संगठन प्रयोगशालाएं हैं, जिसमें प्रमुख निम्नलिखित हैं:

i) ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्टरी (OLF), देहरादून।
ii) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि0, हरिद्वार।
iii) भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लि0,कोटद्वार।
iv) उपकरण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान,देहरादून।
v) डिफेंस इलैक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लैबोरेटरी, देहरादून।
vi) आयुध निर्माणी, देहरादून।
vii) डिफेंस इन्स्टीट्युट ऑफ बायो इनर्जी रिसर्च, हल्द्वानी।

छ)समय के साथ, इन प्रमुख कारखानों ने कई बड़े सहायक उद्योगों की स्थापना की है, जिनमें कई लघु और मध्यम उद्यम(SME) शामिल हैं, जिन्होंने अपनी विनिर्माण क्षमताओं का निर्माण किया है और रक्षा से संबंधित उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला स्थापित की है।

ज) अनेक स्थानों में मजबूत इंजीनियरिंग/विनिर्माण क्लस्टर और अत्यधिक कुशल कार्यबल के साथ अनुकूल निवेश वातावरण उत्तराखंड को एयरोस्पेस और रक्षा उत्पादों के निर्माण के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाते हैं।

4. एयरोस्पेस (रोटरी विंग विमान) और रक्षा उद्योग संचालित पारिस्थितिकी तंत्र (इको–सिस्टम) के निर्माण के लिए समर्थन

4.1 औद्योगिक अवस्थापना का सृजन और उसको बढ़ाना

1. राज्य सरकार आवश्यक भौतिक अवसंरचना का निर्माण करके एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र (ईको–सिस्टम) के निर्माण में क्लस्टर विकास के दृष्टिकोण को अपनाएगी।

2. सिडकुल के माध्यम से एयरोस्पेस तथा रक्षा पार्क आधारित बृहत, मध्यम तथा लघु श्रेणी की कम्पनियों की आवश्यकता के दृष्टिगत आवास, ऐयरोस्पेस तथा रक्षा क्षेत्र के सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए उनके लिए पर्याप्त अवसंरचना सुविधायें विकसित की जायेंगी।
   क) फोर्जिंग, कास्टिंग और निर्माण सुविधायें।
   ख) धातु/समग्र विनिर्माण सुविधायें।
   ग) डिजाइन/ इंजीनियरिंग सेवायें।
   घ) असेंबलिंग की सुविधा।
   ड) रखरखाव की सुविधा।

3. सरकार राज्य के संभावित स्थानों में एयरोस्पेस और रक्षा क्लस्टर के विकास की सुविधा प्रदान करेगी। यह क्लस्टर कॉम्पोनेंट, विनिर्माण, एमआरओ, अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी), प्रशिक्षण, उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सलेन्स) आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगा और यहाँ सामान्य सुविधाएं जैसे कि गोदाम, परीक्षण और प्रमाणन की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।
4. सरकार एयरोस्पेस और रक्षा क्लस्टरों को लोक–निजी सहभागिता के माध्यम से विकसित करने का भी प्रयास करेगी। सरकार एयरोस्पेस/रक्षा पार्कों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज और/या सहायता प्रदान करेगी और जहां संभव हो अंशपूँजी के रूप में समर्थन देगी।
5. सरकार प्रमुख भारतीय और वैश्विक मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) और टियर –1 एयरोस्पेस और रक्षा प्रणाली के निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए विशेष पहल करेगी। बड़े वैश्विक और इंडियन कॉरपोरेट जगत के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर एरोस्पेस और रक्षा उद्योग क्लस्टर और औद्योगिक क्षेत्रों में एंकर व्यवसायों (anchor businesses) को आकर्षित करने के लिए कदम उठाएगी।
6. सरकार एयरोस्पेस/डिफेंस पार्क्स/क्लस्टर के लिए रेल/सड़क/हवाई संपर्क को सुगम तथा बेहतर बनाएगी।

4.2 मानव संसाधन मैट्रिक्स का सृजन और उसे बेहतर बनाना

प्रतिभा और विभिन्न कौशलयुक्त मानवशक्ति, एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण संसाधन हैं। उत्तराखंड सरकार राज्य में प्रतिभा की गुणवत्ता और मात्रा में अभिवृद्धि के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करेगी और निरंतर सीखने और सुधार के अवसर प्रदान करने के लिए वैश्विक/भारतीय मूल उपकरण निर्माता (ओईएम)/संस्थानों के साथ लोक–निजी सहभागिता (पीपीपी मोड) के माध्यम से भागीदारी करते हुए एयरोस्पेस और रक्षा विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण हेतु मौजूदा आई टी आई/पॉलिटैक्निक/ इंजीनियरिंग

कॉलेजों/फ्लाइंग प्रशिक्षण स्कूलों और विश्वविद्यालयों को उन्नत बनाएगी या नए केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना करेगी । राज्य विभिन्न अनुसंधान संस्थानों जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तकनीकी विश्वविद्यालयों, अनुसंधान एवं विकास संगठनों तथा राज्य के अन्य संस्थानों के साथ स्वयं या अन्य संस्थाओं/संगठनों के माध्यम से गठजोड़ करेगा।

4.3 उद्योगों को उधार समर्थन

एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग एयरक्रॉफ्ट/रक्षा प्रणालियों के प्रमुख निर्माताओं और उनके विक्रेताओं (वेंडर) पर निर्भर करता है। उनके साथ साझेदारी पारिस्थितिकी तंत्र (इको–सिस्टम) बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। सरकार इस तरह की साझेदारी के निर्माण के लिए समर्थन सुनिश्चित करेगी, जिसके लिए विशेष भागीदारी सम्मेलन, उद्योग शिखर सम्मेलन/कार्यक्रम/प्रदर्शनियां, व्यवसाय से व्यवसाय (B2B) मीटिंग, निवेशक शिखर सम्मेलनों के साथ ही उत्तराखंड सरकार द्वारा विशेष प्रतिनिधिमंडल विभिन्न बड़े निर्माताओं आदि के यहाँ भेजे जाएंगे। उत्तराखंड सरकार एयरोस्पेस एवं डिफेंस पार्कों में विदेशी/घरेलू निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा मंत्रालय (MoD) के अधीन डीफ़ेन्स ऑफसेट फैसिलिटेशन एजेन्सी (DOFA) और डीफ़ेन्स ऑफसेट मैनेजमेंट विंग (DOMW) के साथ संवाद के लिए उद्योगों को आवश्यक समर्थन प्रदान करेगी जिससे वे अपने ऑफसेट संविदात्मक दायित्वों को पूरा कर सकें।

4.4 अनुसंधान और विकास

एयरोस्पेस व डिफेंस सेक्टर अनवरत वृद्धि के लिए मजबूत अनुसंधान और विकास आधार और एकेडमिया– इंडस्ट्री से नजदीकी संवाद की मांग करता है। नवाचार तकनीक और विचारों का शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में ऊष्मायन किया जाना होगा। सरकार, राज्य में एयरोस्पेस और रक्षा अनुसंधान सुविधाएं स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। विशिष्ट अनुसंधान नवाचरों के लिए मौजूदा संस्थानों में प्रयोगशालाये स्थापित करने और उन्हे अपनाने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जायेगा। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों के साथ अनुसंधान एवं विकास हेतु सहयोग लेने के लिए सहायता दी जायेगी।

4.5 प्रमाणन और अनुपालन

एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग अत्यधिक विनियमित हैं और सभी निर्मित पुर्जे और सेवाओं को उनकी विश्वसनीयता के लिए प्रमाणित किया जाना होता है। प्रमाणन एक अनिवार्य और विस्तृत प्रक्रिया है जिसे समर्थन की आवश्यकता है। केस टू केस आधार पर एयरोस्पेस और रक्षा उद्योगों को आवश्यक प्रमाणन प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

4.6 रक्षा औद्योगिक गलियारे का विकास

उत्तराखंड सरकार ने अपने वर्ष 2018–19 के बजट में यह घोषणा की है कि राज्य से पलायन को रोकने के लिए उत्तराखंड में औद्योगिक उत्पादन गलियारा विकसित किया जाएगा। रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय (MoD) से राज्य में औद्योगिक इकाइयों के साथ परस्पर बैठकें करने के लिए संपर्क किया जाएगा। राज्य सरकार के अधिकारी सभी बैठकों में

भाग लेंगे और रक्षा मंत्रालय को क्रियान्वयन योजना तैयार करने में सहायता प्रदान करेंगे। उत्तराखंड में कई औद्योगिक इकाइयां, क्लस्टर के रूप में रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों और सेवाओं के लिए परिचालित हैं। राज्य सरकार रक्षा मंत्रालय के साथ परामर्श करके राज्य में अधिक निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए रक्षा औद्योगिक उत्पादन गलियारे की स्थापना हेतु सभी सहायता और सुविधायें प्रदान करेगी।

5. एयरोस्पेस (रोटरी विंग विमान) और रक्षा क्षेत्र में उद्योगों के लिए प्रोत्साहन और रियायतें

दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2025 तक अधिसूचित एयरोस्पेस एवं रक्षा पार्क/क्लस्टर और उद्योग, जो अधिसूचित एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग पार्क या क्लस्टर में स्थापित किए जाएंगे, इस नीति के तहत निम्नलिखित वित्तीय प्रोत्साहन और रियायतों के लिए पात्र होंगे:

5.1 आधार इकाई सहायिकी (सब्सिडी)(Anchor Unit Subsidy)

प्रथम 5 एयरोस्पेस एवं रक्षा मूल उपकरण निर्माता (ओईएम)/टियर –1 उद्यमों और / या उनके आपूर्तिकर्ताओं (Anchor Units), जिनमें रू. 100 करोड़ या उससे अधिक का अचल पूंजी निवेश तथा 100 से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया जाना हो, को अचल परिसम्पत्तियों में किये गये कुल पूंजी निवेश का 10 प्रतिशत,(अधिकतम सीमा रू. 10 करोड़) होगी, आधार इकाई सहायिकी **(Anchor Unit Subsidy)**के रूप में अनुदान स्वरूप दी जायेगी। परियोजना में प्रस्तावित कुल अचल पूंजी निवेश, अधिकतम 3 साल के भीतर किया जाना होगा।

5.2 कौशल विकास सहायिकी(सब्सिडी)

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि प्रशिक्षित मानव संसाधन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है, "नौकरी पर" (on job) तकनीकी प्रशिक्षण की लागत का एक वर्ष के लिए 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम प्रति प्रशिक्षु के लिए प्रति माह रू. 5000/– तथा प्रति इकाई अधिकतम 20 प्रशिक्षुओ की सीमा तक, प्रतिपूर्ति की जाएगी। कंपनियां अपने प्रशिक्षुओं/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने और कौशल सेट को उन्नत करने के लिए नामित कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों में भी प्रशिक्षित करा सकते हैं।

5.3 प्रमाणन प्रक्रिया सहायिकी (सब्सिडी)

प्रमाणन प्रक्रिया और उस पर होने वाला खर्च एयरोस्पेस उद्योगों के सामने आने वाली प्रमुख आर्थिक चुनौतियों में से एक है। रक्षा क्षेत्र में कई उत्पादों के लिए कई प्रमाणीकरण प्रक्रियायें हैं। कई उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त निकायों से प्रमाणन की लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 25 लाख प्रति इकाई की सीमा के अधीन प्रमाणीकरण प्रतिपूर्ति सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी।

5.4 भूमि सहायिकी (सब्सिडी)

इस नीति के लागू होने की तिथि से 3 वर्ष के भीतर जिन एयरोस्पेस/रक्षा औद्योगिक इकाइयों को सिडकुल द्वारा प्रवर्तित एयरोस्पेस और डिफेंस पार्कों में भूमि आवंटित की जायेगी, उन इकाइयों को सिडकुल द्वारा आवंटित भूमि की कुल लागत पर 20 प्रतिशत की दर से रियायत (छूट)/प्रतिपूर्ति सहायता निर्दिष्ट नियम और शर्तो के अधीन दी जाएगी। इस सम्बन्ध में नियमानुसार सिडकुल अपनी बोर्ड बैठक में भूमि पर अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में विचार कर निर्णय लेगा।

5.5 इकाईयों के लिए पूंजीगत सहायिकी(सब्सिडी)

नई एयरोस्पेस और रक्षा–सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) औद्योगिक इकाइयों तथा लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा एवं सुपर अल्ट्रा मेगा नयी तथा विस्तारीकरण की इकाइयों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति तथा मेगा इण्डिस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेन्ट नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।

5.6 एयरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए पूंजीगत सहायिकी (सब्सिडी)

एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग पार्कों के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन विकासकर्ता को पात्र अचल संपत्तियों पर 10 प्रतिशत की दर से इन्फ्रास्ट्रक्चर बैक एन्डेड कैपिटल सब्सिडी (Infrastructure back ended capital subsidy) प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि पार्क न्यूनतम 50 एकड़ में विकसित किया गया हो। रखरखाव, मरम्मत एवं ओवरहौलिंग (मेंटिनेंस, रिपेयर एण्ड ओवरहॉलिंग) कॉम्प्लेक्स का विकास भी इस पूंजीगत उपादान सुविधा के लिए पात्र हैं।

5.7 विद्युत कर छूट

नये एयरोस्पेस और रक्षा उद्योगों को उत्पादन कार्य हेतु उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) से खरीदी गई या केपटिव स्रोतों से उत्पन्न और उपयोग किये गये विद्युत भार पर, वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से पहले 5 वर्षों के लिए, देय विद्युत कर में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। विस्तारीकरण की ऐसी परियोजनाओं को विस्तारीकरण में खपत होने वाली अतिरिक्त बिजली के उपयोग पर 5 वर्ष तक, विद्युत बिलों में देय विद्युत कर से छूट दी जायेगी।

5.8 स्टाम्प ड्यूटी रियायत

सिडकुल द्वारा प्रवर्तित औद्योगिक आस्थानों/एयरोस्पेस/रक्षा पार्कों में स्थित एयरोस्पेस /रक्षा परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित भूमि के पट्टे (लीज) या भूमि की बिक्री पर देय स्टाम्प शुल्क में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम नीति तथा मेगा इण्डिस्ट्रीयल एवं इन्वेस्टमेन्ट नीति के प्राविधानों के अनुसार छूट/प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जायेगी।

5.9 पर्यावरण संरक्षण अवस्थापना उपादान

व्यक्तिगत विनिर्माण इकाइयों द्वारा स्थापित समर्पित एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान्ट (Effluent Treatment Plant) और/या खतरनाक अपशिष्ट उपचार भंडारण और निपटान सुविधा (Hazardous Waste Treatment Storage and Disposal Facility) के संयंत्र की स्थापना हेतु सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम नीति/ मेगा इण्डिस्ट्रीयल एवं इन्वेस्टमेन्ट नीति के प्राविधानों के अनुसार स्थापना लागत में प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जायेगी।

5.10 ऑफसेट दायित्व प्रोत्साहन

उत्तराखंड में स्थित नई/मौजूदा विनिर्माण इकाइयाँ जो रक्षा मंत्रालय के ऑफसेट दायित्वों की आवश्यकताओं के अधीन परियोजनाएँ ले रही हैं, उन्हें विशेष प्रोत्साहन पैकेज के रूप में सिडकुल द्वारा प्रवर्तित औद्योगिक पार्क/एयरोस्पेस और रक्षा पार्क में आवंटित भूमि की कुल लागत पर 30 प्रतिशत रियायत (छूट)/प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान करेगी। इस सम्बन्ध में नियमानुसार सिडकुल अपनी बोर्ड बैठक में विचार कर निर्णय लेगा।

5.11 विशेष पहल

नागरिक/सैन्य विमानों, मुख्य युद्धक टैंकों और अन्य एयरोस्पेस और रक्षा प्लेटफार्मों और उपकरणों के विनिर्माण और संयोजन(असेम्बलिंग) परियोजना की महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि वे राज्य में एयरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक इकाइयों के फैलाव और विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेंगी। राज्य में डिजाइन विकास, विनिर्माण, परीक्षण और प्रमाणन की संयुक्त जिम्मेदारियों के साथ निजी उद्योगों की ऐसी परियोजना को विशेष पहल माना जाएगा और सरकार सिडकुल के साथ साझेदारी में, इस तरह के संयुक्त उद्यम की इक्विटी के रूप में विशेष वित्त पोषण को मंजूरी देने पर विचार करेगी।

5.12 श्रम सैक्टर की पहल

श्रमिक कल्याण से समझौता किए बिना श्रम कानूनों में लचीलापन अपनाया जाएगा। लागू श्रम कानूनों के अधीन और औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का केंद्रीय अधिनियम 20) के मापदंडों के अधीन, रोजगार की शर्तों में लचीलापन, महिलाओं के लिए काम के घंटे में कमी और काम के समय की लंबी और कम अवधि सहित 24x7 कार्य संचालन (3 पाली में), रात की पाली में महिलाओं द्वारा काम करना और अनुबंध पर श्रमिकों को काम पर रखने में लचीलेपन की आवश्यकता की सीमा तक अनुमति दी जाएगी।

6. पात्रता और अन्य प्रावधानः

1. किसी विद्यमान कम्पनी के भीतर कम्पनी द्वारा स्थापित नई विनिर्माण सुविधाएं (या) एक नई साइट में (या) एक आसन्न खाली साइट में एक उत्पाद के विनिर्माण के लिए जो पहले से ही विद्यमान इकाई में विनिर्मित हो रहा है या पूरी तरह से नया उत्पाद, नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन के उद्देश्य के लिए एक विस्तार इकाई के रूप में इस शर्त के अधीन व्यवहारित किया जायेगा कि पुरानी इकाई में उत्पादन की मात्रा / मूल्य संरक्षित रहे।
2. "पर्वतीय क्षेत्र" का अर्थ सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम नीति–2015 (यथासंशोधित–2016, 2018 व 2019) में वर्गीकृत श्रेणी–ए, बी व बी+ के क्षेत्रों/जनपदों से है।

3. इस नीति के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र एयरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक इकाइयां परिशिष्ट –1 में परिभाषित की गई हैं।
4. पात्र अचल संपत्तियों (EFA) को परिशिष्ट – 2 में परिभाषित किया गया है।
5. प्रत्यक्ष रोजगार या प्रत्यक्ष नौकरी की परिभाषा परिशिष्ट –3 पर है।
6. यह नीति राज्य की मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी–2015 (यथासंशोधित–2016 व 2018), बृहत औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018 तथा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम नीति–2015 (यथासंशोधित–2016, 2018 व 2019) या उक्त नीतियों में भविष्य में होने वाले संशोधनों/परिवर्तनों के अनुरूप एक दूसरे की पूरक होंगी।
7. इस नीति के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं का दावा करने वाली पात्र इकाईयां अर्हता के आधार पर राज्य की मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट नीति, बृहत औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति तथा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन सहायता हेतु दावा कर सकते हैं, बशर्ते कि इस नीति में समान/समरूप शीर्ष के अधीन कोई प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं है। यदि, कोई केंद्रीय सब्सिडी या प्रोत्साहन एयरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक इकाइयों के लिए उपलब्ध है, तो ऐसी पात्र इकाइयों को सबसे पहले भारत सरकार की योजनाओं के तहत उपादान हेतु आवेदन करेंगी। यदि प्रोत्साहन के बीच कोई अंतर है, तो ऐसी इकाई समान नीतियों के तहत उपरोक्त नीतियों में शेष राशि / प्रोत्साहन का लाभ उठा सकती है।
8. केन्द्र/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत एक ही घटक के लिए एक ही स्रोत से पूंजीगत उपादान सहायता अनुमन्य होगी, किन्तु इकाईयों के पास यह विकल्प होगा कि किसी योजना विशेष में पूंजीगत उपादान की सीमा/मात्रा यदि अधिक है, तो वह उस सुविधा के लिए सम्बन्धित योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है।
9. राज्य सरकार के पास जनहित में इस नीति के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।
10. यह नीति दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त (हुई समझी जायेगी) एवं दिनांक 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रहेगी।

परिशिष्ट–1

एयरोस्पेस / रक्षा उद्योगों की परिभाषा

इस नीति के तहत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से, पात्र एयरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक इकाइयों को इस रूप में परिभाषित किया गया है, जो इस तरह की सामग्री, घटकों/सब–असेंब्लीज हेतु डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, सर्विसिंग एवं आपूर्तिपूरी तरह से या आंशिक रूप सेमूल उपकरण निर्माता/टीयर–I / टीयर–II / टियर–III कंपनियां अर्थात् एयरोस्पेस एवं रक्षा उद्योग की प्रमुख कम्पनियों, जिसमें हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि0, इसरो, भारत सरकार के सभी रक्षा सार्वजनिक उपक्रम, यथाः आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, सीआरपीएफ, स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट सम्मिलित हैं, को कर रही हों। विमान हैंगर कीमेंटिनेंस, रिपेयर एवं ऑवरहौलिंग भी एयरोस्पेस / रक्षा उद्योग के रूप में माना जाएगा।

सभी उद्योग इकाइयाँ जिन्हें AS9100 प्रमाणन मिला है, उन्हें एयरोस्पेस / रक्षा से संबंधित औद्योगिक / सेवा इकाइयाँ माना जायेगा।

एयरोस्पेस / रक्षा उद्योग इकाई की परिभाषा पर व्याख्या के सम्बन्ध में कोई भी स्पष्टीकरण राज्य सरकार द्वारा आवश्यक होने पर दिया जा सकता है।

एयरोस्पेस और डिफेंस पार्क को निजी / सरकारी / सार्वजनिक निजी सहभागिता के प्रवर्तकों द्वारा प्रचारित एक औद्योगिक पार्क के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें न्यूनतम 50 एकड़ विकसित भूमि के साथ सभी सम्बनिधत बुनियादी अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध हैं औरजहां पर कम से कम 50 प्रतिशत एयरोस्पेस और रक्षा सम्बन्धी इकाईयां स्थित हों।

परिशिष्ट–2

पात्र अचल संपत्तियों (EFA) की परिभाषा

"पात्र अचल संपत्तियों (EFA)" का अर्थ स्थायी भवन, संयंत्र, स्वदेशी मशीनरी और उपकरण, नए आयातित मशीनरी और उपकरण, कंप्यूटर उपकरण, सामग्री हैंडलिंग उपकरण (जैसे कि फोर्कलिफ्ट, क्रेन आदि), टूल डाइ, मौल्ड्स, जिग्स और फिक्सचर और इसी प्रकार के उत्पादन टूल जो प्लांट के भीतर इस्तेमाल होने वाले या उत्तराखंड में कहीं भी स्वामित्व में या उपयोग में, उपकरण, बिजली के प्रतिष्ठानों, प्रदूषण नियंत्रण और गुणवत्ता नियंत्रण और प्रयोगशाला के उपकरण, फिक्सचर, ट्यूब, पाइप, फिटिंग और भंडारण टैंक, परियोजना द्वारा भुगतान की गई सीमा के अन्तर्गत हों।

इस शब्द में अपशिष्ट उपचार सुविधाएं, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, कैप्टिव पावर प्लांट और स्थापना शुल्क सहित परिसर में उपयोग के लिए स्थापित अन्य सहायक सुविधाएं भी सम्मिलित हैं। सभी सृजित अचल संपत्तियों का भुगतान किया होना चाहिए और परियोजना कम्पनी के स्वामित्व में होनी चाहिए। सभी अचल परिसंपत्तियों (टूल्स, डाइज, मोल्ड्स, जिग्स और फिक्स्चर और इसी तरह के उत्पादन टूल्स को छोड़कर) की स्थापना और उपयोग केवल प्रोजेक्ट साइट के भीतर किया जाना चाहिए।

कुल पात्र अचल संपत्ति का 20 प्रतिशत तक कैप्टिव पावर प्लांट (विंडमिल / सोलर फार्म सहित) में निवेश के लिए अनुमति दी जाएगी, बशर्ते 50 प्रतिशत ऊर्जा कैप्टिव यूज के लिए हो।

उक्त शब्द "पात्र अचल परिसंपत्तियों (EFA)" में भूमि (विकास लागत जैसेबाउण्ड्री वॉल, आंतरिक सड़कों और अन्य बुनियादी अवस्थापना की सुविधाओं का निर्माण को मिलाकर) और अमूर्त संपत्ति' शामिल नहीं है।

हालांकि एयरोस्पेस एवं रक्षा औद्योगिक पार्क के विकास के लिए कैपिटल सब्सिडी के मामले में "पात्र अचल संपत्तियों (EFA)" में विकास लागत जैसे बाउण्ड्री वॉल का निर्माण, आंतरिक सड़कों का निर्माण और अन्य बुनियादी अवस्थापना सुविधाएं शामिल होंगी।

"अमूर्त संपत्ति"(Intangible Assets) का अर्थ होगा तकनीकी जानकारी शुल्क, अनुसंधान एवं विकास (R&D) व्यय, पूर्व–संचालन व्यय, योजना शुल्क, उत्पादों के डिजाइन और और प्रोटोटाइप के विकास पर खर्च आदि।

"पात्र निवेश" का मतलब होगा और इसमें पात्र अचल परिसंपत्तियां शामिल होंगी और निम्नलिखित पर जो निवेश किया गया है:

1. पात्र इकाई के स्थान के विकास की लागत, जिस पर परियोजना स्थापित की जानी है।
2. मेगा प्रोजेक्ट द्वारा अधिगृहीत टूलिंग, जो राज्य के भीतर मेगा प्रोजेक्ट के विभिन्न विक्रेताओं / सहायक इकाइयों को दिया गया है, मेगा प्रोजेक्ट के कुल संयंत्र और मशीनरी का अधिकतम 5 प्रतिशत तक सीमित होगा।

परिशिष्ट–3

प्रत्यक्ष रोजगार या प्रत्यक्ष नौकरी

प्रत्यक्ष रोजगार या प्रत्यक्ष नौकरी का अर्थ उन सभी सेवाओं से होगा जो नियोजित कर्मचारियों द्वारा की जाती हैं जो संबंधित कंपनियों के रोल पर होते हैं, जिसमें उत्पादन लाइन में लगे अनुबंध पर नियोजित श्रमिक भी शामिल होंगे। हालांकि इसमें तथापि आकस्मिक आधार पर नियोजित कर्मकर शामिल नहीं होंगे। आबद्ध किए गए अनुबंधित/आउटसोर्स कर्मकरों की संख्या कुल नियोजित कर्मकरों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
अपर मुख्य सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

08 जून, 2020 ई0

संख्या 244/XXXI(15)G/20-45(2)/2010—राज्यपाल, युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 (अधिनियम सं0 5, सन् 1938) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र का ऐसा क्षेत्र परिनिश्चित करते हैं, जिसमें 01 जून, 2020 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मई, 2025 को समाप्त होने वाली पाँच वर्ष की अवधि के लिए नियतकाल पर खुले क्षेत्र में गोला चलाने और तोप दागने का अभ्यास किया जाना प्राधिकृत किया जा सकता है :—

क्षेत्र का विवरण
अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	2	3	4
पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	1—ऐंचौली	5887.12
		2—खड़किनी	4658.15
		3—धार धिमौड़ा	3564.07
		4—गैना	6902.06
		5—डाल (थरकोट)	1437.04
		6—स्यूनी	10031.12
		7—बमनथल	1728.08
		8—भीलोंत	4864.09
		9—तोली फगाली	10697.15
		10—इग्यार	9612.00
		11—सिरमोली	556.06
		12—गुरना	8002.06
		13—गोगना	49512.10
		14—सेरीकाण्डा	—
		15—बिनायक	—
		16—सिरतोली काढ़े	—
		17—बेडा	27902.15
		18—बमराडी सिमली	21553.04
		19—निसनी	24441.08
		20—हिमतर	14641.10
		21—जाजर चिंगरी	27263.00
		22—पाटी पलचौड़ा	13777.13
		23—सल्ला	48391.12
		24—सेल	30047.04
		25—शिलिगिंया	22547.00
		26—तोली	10026.08
		27—लोदगाड़	14511.00

1	2	3	4
		28—बड़ाबे	53944.06
		29—पत्थरखानी	5129.15
		30—डेयाडार	12579.06
		31—मर्सोली भाट	23117.07
		32—सुन्तरापोखरी	4453.05

टिप्पणीः— उक्त भूमि का स्थल—नक्शा (साइट—प्लान) पिथौरागढ़, कलेक्टर के कार्यालय में हितबद्व व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 244/XXXI(15)G/20-45(2)/2010**, dated June 08, 2020 for general information:

NOTIFICATION

June 08, 2020

No. 244/XXXI(15) G/20-45(2)/2010--In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 9 of the Manoeuvres, Field Firing and Artillery Practice Act, 1938 (Central Act no. 5 of 1938), the Governor is pleased to define the area specified in the Schedule below as the area within which for the period of five years commencing on the first day of June ,2020 and ending with the Thirty First day of May, 2025 carrying out, periodically of field firing and artillery practice may be authorized.

Detail of Area

District	Name of Tehsil	Name of Village	Area (in Acre)
1	2	3	4
Pithoragarh	Pithoragarh	1-Aincholi	5887.12
		2-Kharkini	4658.15
		3-Dhar Dhimora	3564.07
		4-Gaina	6902.06
		5-Dal (Tharkot)	1437.04
		6-Syuni	10031.12
		7-Bamanthal	1728.08

1	2	3	4
		8-Bhilont	4864.09
		9-Toli Fagaly	10697.15
		10-Igyar	9612.00
		11- Sirmoli	556.06
		12-Gurna	8002.06
		13-Gogana	49512.10
		14-Sarikanda	-
		15-Binayak	-
		16-Sirtoli Kandhe	-
		17-Bera	27902.15
		18-Bamrari Simali	21553.04
		19-Nisani	24441.08
		20-Himtarh	14641.10
		21-Jajar Chinagri	27263.00
		22-Pati Palchora	13777.13
		23-Salla	48391.12
		24-Sel	30047.04
		25-Silngiya	22574.00
		26-Toli	10026.08
		27-Lodgarh	14511.00
		28-Barabe	53944.06
		29-Patharkhani	5129.15
		30-Deodar	12579.06
		31-Marsoli Bhat	23117.07
		32-Suntarapakhari	4453.05

Note:- A site plan of the land may be inspected by the interested person in the office the District Magistrate, Pithoragarh.

By Order,

RADHA RATURI,
Additional Chief Secretary.

सूचना अनुभाग–2

कार्यालय ज्ञाप/प्रोन्नति आदेश

26 मई, 2020 ई0

संख्या 61/XXII(2)/2020-04(4)2010–सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सहायक निदेशक, वेतन लेवल–10, ₹ 56100–177500 (वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड पे ₹ 5400) में कार्यरत श्री नितिन उपाध्याय को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उप निदेशक के पद पर वेतन लेवल–11, ₹ 67700–208700 (वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड पे ₹ 6600) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कार्यालय ज्ञाप/प्रोन्नति आदेश

26 मई, 2020 ई0

संख्या 62/XXII (2)/2020-04(4)2010–सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत व्यवस्थाधिकारी, वेतन लेवल–7, ₹ 44900–142400 (वेतनमान ₹ 9300–34800, ग्रेड पे ₹ 4600) में कार्यरत श्री शंकर दत्त लोहनी को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक निदेशक के पद पर वेतन लेवल–10, ₹ 56100–177500 (वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड पे ₹ 5400) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

दिलीप जावलकर,
सचिव।

परिवहन अनुभाग–1

अधिसूचना

28 मई, 2020 ई0

संख्या **129/IX-1/25/2020**–कोविड–19 (कोरोना वायरस से फैली महामारी) के कारण लॉक डाउन से प्रभावित परिवहन व्यवसायियों को वाहन के परमिट नवीनीकरण शुल्क तथा मोटरयान कर (Goods Carrying Vehicles को छोड़ते हुए) से निम्नवत् छूट प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) परमिट नवीनीकरण शुल्क में छूटः–

उक्त के अंतर्गत सभी सार्वजनिक सेवायानों यथा स्टेज कैरीज बस, कॉन्टेक्ट कैरीज बस, कान्टेक्ट कैरीज टैक्सी/मैक्सी कैब, कान्टेक्ट कैरीज ऑटो रिक्शा एवं कान्टेक्ट कैरीज विक्रम आदि के दिनॉक 31.01.2020 को वैध परमिटधारकों को उक्त तिथि के पश्चात् वर्ष 2020–21 में एक बार परमिट नवीनकरण के समय नवीनकरण शुल्क भुगतान से छूट प्रदान की जाती है।

(2) वाहनों को मोटरयान कर से छूट के संबंध में:–

उक्त के अंतर्गत सभी सार्वजनिक सेवायानों यथा स्टेज कैरीज बस, कॉन्टेक्ट कैरीज बस, कान्टेक्ट कैरीज टैक्सी कैब, कान्टेक्ट कैरीज मैक्सी, कान्टेक्ट कैरीज ऑटो रिक्शा, कान्टेक्ट कैरीज विक्रम एवं परमिट से छूट प्राप्त ई–रिक्शा आदि को 03 माह हेतु मोटरयान के भुगतान से छूट प्रदान की जाती है।

3. अतः उपरोक्त के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाय।

आज्ञा से,

शैलेश बगौली,

सचिव।

पर्यटन अनुभाग

अधिसूचना

05 जून, 2020 ई0

संख्या 770/VI(1)/2020–117(पर्य)/2001–राज्यपाल, उत्तराखण्ड, पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या–12, वर्ष 2001) की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली, 2002 (समय–समय पर यथा संशोधित) में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से, निम्नलिखित नियमावली बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

"वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना (संशोधन) नियमावली,2020"

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना (संशोधन) नियमावली,2020" है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगी।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का संशोधन

2. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली,2002 (समय-समय पर यथासंशोधित), जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है, में नियम 4 के पश्चात निम्नवत परन्तुक जोड़ दिया जायेगा, अर्थात:-

परन्तु कोई व्यक्ति, जो इस नियमावली में विहित किसी प्रयोजन हेतु वाहन मद अथवा गैर-वाहन मद के अन्तर्गत पूंजीगत राजकीय सहायता एक बार प्राप्त कर चुका हो, पुन: उसी मद के लिए के लिए पूंजीगत राजकीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा।

नियम 7 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नियम 7 के प्रस्तर-2 के पश्चात निम्नवत परन्तुक जोड़ दिया जायेगा, अर्थात:-

परन्तु यह कि वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत प्रदेश के मार्गों पर संचालन हेतु एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 50 बसों/इलैक्ट्रिक बसों के क्रय हेतु पूंजी संकर्म की लागत के 50 प्रतिशत, किन्तु अधिकतम ₹ 15.00 लाख की राजकीय सहायता देय होगी। राजकीय सहायता प्राप्ति हेतु बसों/इलैक्ट्रिक बसों के प्रकार व संचालन सम्बन्धी निम्न मानकों/शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा:-

(1) बस का प्रकार: (क) साधारण बस/पुश बैक–30 सीटर एवं 42 सीटर – 2X2.

(ख) वातानुकुलित बस/पुश बैक–26-28 सीटर एवं 42 सीटर– 2X2.

(2) संचालन: बस को उत्तराखण्ड परिवहन निगम के निर्धारित रूट्स अथवा अन्तर नगरीय रूट्स/स्थानों हेतु हीं संचालित किया जायेगा परन्तु यह अनिवार्य होगा कि जिन नगरों/स्थानों के मध्य बस का संचालन किया जा रहा हो उनमें से एक टर्मिनल (अर्थात यात्रा प्रारम्भ करने अथवा गन्तव्य स्टेशन) उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत अवस्थित हो।

(3) प्रचार: बसों की बॉडी के दोनों ओर उत्तराखण्ड राज्य में पर्यटन का प्रचार-प्रसार करने वाली सामग्री को लगाना अथवा अंकित करना अनिवार्य होगा।

आज्ञा से,

दिलीप जावलकर,

सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No.770/VI(1)/2020-117(Tourism)/2001,** dated, June 05, 2020 for general information:

NOTIFICATION

June 05, 2020

No.770/VI(1)/2020-117(Tourism)/2001--In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 20 of the "Uttarakhand Tourism Development Board Act, 2001 (Act No. 12 of 2001)", with a view to further amend the "Veer Chandra Singh Garhwali Tourism Self-employment Scheme Rules, 2002 (as mended from time to time), the Governor is pleased to make the following Rules :--

"The Veer Chandra Singh Garhwali Tourism Self-employment Scheme (Amendment) Rules,2020"

Short title, Extent and Commencement:

1. (1) These rules may be called "Veer Chandra Singh Garhwali Tourism Self-employment Scheme (Amendment) Rules,2020".

(2) It shall extend to whole of state of Uttarakhand.

(3) It shall come into force at once.

Amendment of Rule 4

2. In the Veer Chandra Singh Garhwali Tourism Self-employment Scheme Rules,2002 (as amended from time to time), hereinafter referred as principal rules, after rule 4, following proviso shall be added, namely: -

Provided that a person, having once availed government capital aid for any of the purposes prescribed in these rules, under Vehicle head or Non-Vehicle head, shall not be eligible for availing government capital aid for the same head again.

Amendment of Rule 7

3. In the principal rules, after para-2 of the rule 7, the following proviso shall be added, namely: -

Provided that for the purchase of maximum 50 Buses/Electric Buses during one financial year, to be operated on the state roads, under Veer Chandra Singh Garhwali Tourism Self-employment Scheme, an aid up to 50 percent of the capital investment, but a maximum limit of ₹ 15.00 lakh, shall be payable. In order to avail the aid, compliance of the following norms/conditions related to types and operation of the Buses/Electric Buses, shall be obligatory:-

(1)	Types of Bus	(a)	Ordinary Bus/Push Back-30 Seater and 42 Seater-2X2.
		(b)	Airconditioned Bus/Push Back- 26-28 Seater and 42 Seater-2X2.
(2)	Operation:		The Bus shall be operated on the earmarked routes of the Uttarakhand Transport Corporation or intercity routes/places only but it shall be obligatory that one of the terminal (i.e. Starting point or destination station) of the cities/places, the bus is operated between, falls within the state of Uttarakhand.
(3)	Publicity:		Material publicizing tourism in the state of Uttarakhand shall be necessarily put/inscribed at both sides of the body of the bus.

By Order,

DILIP JAWALKAR,

Secretary.

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–6

अधिसूचना

09 जून, 2020 ई0

संख्या 203/XXVIII(6)–2020–25(पैरा)/2017–राज्यपाल, उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2009 की धारा 42 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2009 एवं उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद् विनियम, 2014 के उपबन्धों को लागू करने के लिए उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद् को यह निर्देश देते हैं कि–

1- संस्थान के भौतिक/स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि निरीक्षण दल की यह पुष्टि हो जाती है कि ऐसे संस्थान जिनके द्वारा सक्षम स्तर की अनुमति प्राप्त किये बिना स्वीकृत सीट से अधिक छात्रों को संस्थान में प्रवेश करा दिया गया है और नवीन पाठयक्रम लागू करते हुए छात्रों को संस्थान में प्रवेश दिया गया है तो निरीक्षण दल द्वारा ऐसे संस्थानों की विस्तृत अन्वेषण रिपोर्ट तैयार कर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं सचिव/रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

2- स्वीकृति से अधिक छात्रों के प्रवेश की दशा में परिषद सम्बन्धित संस्थान के विरूद्व मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर निम्न में से कोई ऐसी कार्यवाही करेगी, जैसा परिषद आवश्यक समझे–

(i) मानक/स्वीकृत सीट से अधिक-- प्रत्येक प्रवेशित विद्यार्थी से वसूले गये शुल्क का पांच गुना जुर्माने के रूप में अधिरोपित किया जाना।
(ii) राज्य सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार स्वीकृत सीटों की संख्या घटाया जाना।
(iii) अधिक सीट पर प्रवेश के लिए संस्थान की मान्यता एक वर्ष हेतु निलंबित करना।
(iv) एक शैक्षिक सत्र में एक या अधिक पाठ्यक्रमों में कोई प्रवेश न होना।
(v) नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन किये जाने की दशा में पाठ्यक्रमों या उनके जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र का निरस्तीकरण।
(vi) संस्थान की मान्यता का निरस्तीकरण।

3- राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश परा चिकित्सा परिषद पर वाध्यकारी होंगे। राज्य सरकार द्वारा जारी इन निर्देशों को परिषद द्वारा यथाशीघ्र विनियमावली का भाग बनाये जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

NOTIFICATION

June 09, 2020

No. 203/XXVIII(6)-2020-25(Para)/2017--In exercise of the poweres conferred by sub-section (1) of section 42 of the Uttarakhand Paramedical Council Act, 2009, the Governor issue directions to the Uttarakhand Paramedical Council, for implementation of the provisions of the Uttarakhand Paramedical Council Act, 2009 and the Uttarakhand Paramedical Council Regulations, 2014, as follows :--

(1) If during the physical/site inspection of the institute, the inspection committee confirms that the said institute has admitted more number of students than the sanctioned number of seats and given admission to the students in institute on starting new courses without approval from competent level, then the Inspection Committee shall after preparing submit a detailed inspection report of such institute to the Director, Medical Education and Secretary/Registrar, Uttarakhand Paramedical Council.

(2) In case of admission of more than sanctioned students, the Council shall, on the basis of facts and circumstances of the case, take any or more following actions, against the concerned Institution, the Council may deem necessary:-

i. Penalty would be imposed five times that of the fee charged from the admitted candidates more than the criteria/sanctioned seats.
ii. Decreasing the sanctioned seats as per No Objection Certificate issued by the State Govt.

iii. To suspend the recognition of the institute for one year in case of admitting the students more than the sanctioned seats.
iv. To deny the admissions in one or more courses in one academic session.
v. In conditions of flouting the rules and regulations of the Act, the institute will be denied the courses or their already issued No Objection Certificate will be cancelled.
vi. To cancel the recognition of the institute.

(3) The directions issued by the State Government shall be binding to the Paramedical council and the council shall incorporate these directions in their Paramedical regulations immediately.

By Order,

AMIT SINGH NEGI,
Secretary.

गृह अनुभाग–2

विज्ञप्ति/पदोन्नति

26 मई, 2020 ई0

संख्या 338/XX-2/20/08(01)2019–तत्काल प्रभाव से नियमित चयनोपरान्त उत्तराखण्ड पुलिस दूर संचार शाखा में कार्यरत श्री जगत राम, पुलिस अधीक्षक, (पुलिस दूरसंचार) (वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड पे ₹ 7600) (पुनरीक्षित) को पुलिस उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) (वेतनमान ₹ 37400–67000, ग्रेड पे ₹ 8900) (पुनरीक्षित) के पद पर पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. पदोन्नति के उपरान्त श्री जगत राम जहाँ तैनात हैं, वहीं कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा उनकी तैनाती/स्थानान्तरण के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

26 मई, 2020 ई0

संख्या 339/XX-2/20/08(01)2019–तत्काल प्रभाव से नियमित चयनोपरान्त उत्तराखण्ड पुलिस दूर संचार शाखा में कार्यरत श्री मुकेश कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, (पुलिस दूरसंचार) (वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड पे ₹ 5400) (पुनरीक्षित) को अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) (वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड पे ₹ 6600) (पुनरीक्षित) के पद पर पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. पदोन्नति के उपरान्त श्री मुकेश कुमार जहाँ तैनात हैं, वहीं कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा उनकी तैनाती/स्थानान्तरण के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

26 मई, 2020 ई0

संख्या 340/XX-2/20/08(01)2019—तत्काल प्रभाव से नियमित चयनोपरान्त उत्तराखण्ड पुलिस दूर संचार शाखा में कार्यरत श्री गिरिजा शंकर पाण्डे, अपर पुलिस अधीक्षक, (पुलिस दूरसंचार) (वेतनमान ₹ 15600—39100, ग्रेड पे ₹ 6600) (पुनरीक्षित) को पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) (वेतनमान ₹ 15600—39100, ग्रेड पे ₹ 7600) (पुनरीक्षित) के पद पर पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. पदोन्नति के उपरान्त श्री गिरिजा शंकर पाण्डे जहाँ तैनात हैं, वहीं कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा उनकी तैनाती/स्थानान्तरण के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

अतर सिंह,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 23 हिन्दी गजट/239—भाग 1—2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 जुलाई, 2020 ई0 (आषाढ़ 20, 1942 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, AT NAINITAL

NOTIFICATION

May 19th, 2020

No. 99/UHC/Admin.B/2020--Having considered the new guidelines issued by the Government of India, regarding public movement and activities during COVID-19 Pandemic and consequential guidelines issued by the State Government, in supersession of the High Court of Uttarakhand Notification No. 86/UHC/Admin.B/2020 dated 11.04.2020, read with Notifications issued in consequence thereof, Hon'ble the Chief Justice is pleased to order for working in the High Court, with following directions being issued, essential for health precautions in the larger public interest-

1. The business of the High Court of Uttarakhand shall be transacted for following types of cases, fresh or otherwise, till further orders-
   - **(A)** Public Interest Litigations
   - **(B)** Bail Applications
   - **(C)** Criminal Appeals against convictions
   - **(D)** Criminal Revisions against orders confirming convictions

(E) Writ Petitions Criminal (WPCRL)

(F) Writ Petitions (*Habeas Corpus*)

(G) Writ Petitions seeking relief against eviction, ejectment, dispossession from property, or its demolition

(H) Writ Petitions seeking relief against attachment, auction or any other similar legal recourse affecting the property.

(I) Writ Petitions against orders passed by Courts/Tribunals subordinate to the High Court, or Adjudicatory Bodies, Boards, Commissions, Forums, Authorities *etc.* having jurisdiction over whole of the territory of the State, or any part thereof.

(J) Writ Petitions against any major penalty passed in departmental proceedings.

(K) Writ Petitions seeking relief in respect of recruitment, selection, promotion or transfer orders issued during the lockdown period.

(L) Writ Petitions seeking relief in respect of admission in educational institutions, or for relief in respect of examinations conducted by such institutions.

(M) Special Appeals, where applicable, against order passed in aforesaid matters.

(N) Caveat Application.

2. For the present, other matters, fresh or pending, including pending civil matters, shall be taken up with urgency application, in the same manner, matters are taken up during winter vacation of the Court.

3. The filing shall be from 10:00 AM to 1:30 P.M., and fresh matters shall be listed on third day, save in cases, where the Court is closed on the third day, in which case, the matters shall be listed on the first working day of the Court, falling immediately after such third day.

4. Where Registry is closed a day before the third day, matters shall be listed on first working day of the Court, falling immediately after the third day.

5. Without prior approval of Hon'ble the Chief Justice, not more than 25 matters shall be listed before a Bench for one working day, and for this purpose, all connected/bunched matters shall be counted, as if it is one matter.

6. All Petitions, Applications, Replies, Counter Affidavits, Rejoinders, Documents, Papers *etc.* shall be filed in hard copies, as they are filed in normal days. In addition, soft copies in PDF of such hard copies shall also be provided by e-mail to Institution Section, or Judicial Sections concerned, in their respective e-mail addresses, given in the official website of the High Court.

7. The token number of the filing shall be communicated to advocates/parties by return e-mail to e-mail addresses from which soft copies are received, as above.

8. The hard copies, as received above, shall not be handled by staff other than the staff deputed to receive/handle such copies. The hard copies, shall be kept in safe and earmarked place, and shall be processed on the next working day.

9. Where defects, if any, are pointed out by Registry, they shall be communicated to the advocate concerned, only by e-mail or any other electronic mode of communication, and the matters shall be listed with defects, as they are listed during vacation of the High Court.

10. Without affecting discretion of the Hon'ble Judges to hold Courts from respective Court rooms in actual physical presence of advocates, hearing of cases shall be through Video Conferencing either from chambers in the High Court premises, or from residences of the Hon'ble Judges.

11. In pending matters, where there is request of the Registry to the advocates/parties concerned, they shall, as far as possible, e-mail the scanned copies (by cam scanner or scanning machine) of the relevant papers of the pending matters, like copies of petitions, applications, affidavits, annexure, replies *etc.* held by them in their respective offices, in the PDF format, in chronological order. The scanned copies shall be e-mailed to the concerned Section of the Registry.

12. Entries in the High Court premises shall be strictly regulated and shall only be with gate pass.

13. No person other than the High Court personnel, or personnel of other service provider Departments/Organizations, established in the High Court premises, shall be issued gate pass to enter High Court premises, unless

while applying for the gate pass, such person (advocate or advocate's staff or party *etc.*), furnishes a self declaration to the effect that he has been in Nainital/Bhowali/Bhimtal town or any other place situated within radius of 15 K.M. from the High Court, for not less than last 15 continuous days and has not experienced any symptoms of COVID-19 disease.

14. Only such advocates/parties shall be issued gate pass, whose cases are listed for hearing on that day. Gate pass shall also be issued to only such advocate's staff, whose presence is necessary for filing, for obtaining certified copy *etc.*

15. All officers, staff, advocates, parties *etc.* shall cover their face with mask, and shall follow the norms of social distancing and guidelines issued by the Government/Local Authorities, regarding COVID 19 disease, when they enter the High Court premises.

16. Nothing in this Notification shall affect matters already listed for hearing through video conferencing under the High Court Notification No. 86/UHC/Admin.B/2020 dated 11.04.2020.

17. Advocates/parties shall provide hard copies of petitions, applications, replies *etc.*, whose soft copies have been filed under the aforesaid Notification, within three working days from date of this Notification.

18. Matters, pending or otherwise, which have already been considered for urgent hearing through video conferencing in accordance with the aforesaid Notification and remain to be listed, shall be listed only after hard copies of the Petitions, Applications *etc.* are filed by the advocates/parties.

By Orders of Hon'ble the Chief Justice,

--Sd--

HIRA SINGH BONAL,

Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

June 06, 2020

No. 110/XIV/a-34/Admin.A/2016--Shri Amit Bhatt, Civil Judge (Jr. Div.), Gairsain, District Chamoli is hereby sanctioned paternity leave for 15 days *w.e.f.* 22.02.2020 to 07.03.2020 with permission to prefix 21.02.2020 as Maha Shivratri holiday and suffix 08.03.2020 to 10.03.2020 as Holi holidays, in terms of G. O. No. 819/XXXVII(7)34/2010-11 dated 31.12.2013.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

June 09, 2020

No. 111/XIV-a-34/Admin.A/2013--Ms. Rashmi Goyal, Civil Judge (Sr. Div.),Pithoragarh is hereby sanctioned earned leave for 33 days *w.e.f.* 10.02.2020 to 13.03.2020 with permission prefix 08.02.2020 & 09.02.2020 as holiday and suffix 14.03.2020 & 15.03.2020 as holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

June 09, 2020

No. 112/XIV-71/Admin.A/2003--Ms. Neena Aggarwal, ADJ/FTSC/POCSO, Roorkee, District Hardwar is hereby sanctioned child care leave for 33 days *w.e.f.* 10.02.2020 to 13.03.2020 with permission to prefix 08.02.2020 & 09.02.2020 as holidays and suffix 14.03.2020 & 15.03.2020 as holidays, in terms of Office Memorandum No. 11/XXVII(7)34/2011 dated 30.05.2011, issued by Government of Uttarakhand.

NOTIFICATION

June 10, 2020

No. 113/XIV-a/56/Admin.A/2012--Ms. Seema Dungrakoti, 3rd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned child care leave for 31 days *w.e.f.* 24.02.2020 to 25.03.2020 with permission to prefix 23.02.2020 as Sunday holiday, in terms of Office Memorandum No. 11/XXVII(7)34/2011 dated 30.05.2011, issued by Government of Uttarakhand.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

June 10, 2020

No. 114/XIV-a/39/Admin.A/2017--Ms. Shalini Dadar, Judicial Magistrate-II, Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 21 days *w.e.f.* 11.03.2020 to 31.03.2020.

NOTIFICATION

June 10, 2020

No. 115/XIV-22/Admin.A/2008--Sri Vivek Srivastava, Chief Judicial Magistrate, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 02.03.2020 to 11.03.2020.

NOTIFICATION

June 11, 2020

No. 116/XIV/a-47/Admin.A/2012--Ms. Simranjit Kaur, Additional Civil Judge (Sr. Div.), Roorkee, District Hardwar is hereby sanctioned maternity leave for 180 days *w.e.f.* 09.10.2019 to 05.04.2020 with permission to prefix 06.10.2019 to 08.10.2019 as Dussehra holidays, in terms of F.R. 101 and S.R. 153 & 154 of F.H.B., Volume II (Parts 2-4) and Office Memo No. 250/XXVII(7)/2009 dated 24.08.2009 issued by Government of Uttarakhand.

NOTIFICATION

June 11, 2020

No. 117/XIV/a-36/Admin.A/2017--Ms. Shikha Bhandari, Judicial Magistrate, Kotdwar, District Pauri Garhwal is hereby sanctioned maternity (miscarriage) leave for 42 days *w.e.f.* 16.04.2020 to 27.05.2020 in the light of provisions contained in Subsidiary Rule 153 (2) Chapter XIII of F.H.B., Volume II (Parts 2-4).

NOTIFICATION

June 11, 2020

No. 118/XIV-a/33/Admin.A/2016--Ms. Parul Thapliyal, Additional Civil Judge (Jr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned maternity leave for 180 days *w.e.f.* 29.11.2019 to 26.05.2020, in terms of F.R. 101 and S.R. 153 & 154 of F.H.B., Volume II (Parts 2-4) and Office Memo No. 250/XXVII(7)/2009 dated 24.08.2009 issued by Government of Uttarakhand.

NOTIFICATION

June 11, 2020

No. 119/XIV/a-41/Admin.A/2013--Shri Sushil Tomar, 1st Additional District Judge, Roorkee, District Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 14 days *w.e.f.* 12.03.2020 to 25.03.2020.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

June 11, 2020

No. 120/XIV-70/Admin.A/2003--Shri Manish Mishra, 1st Additional District & Sessions Judge, Rishikesh, District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 02 days *w.e.f.* 11.03.2020 to 12.03.2020 with permission to prefix 08.03.2020 to 10.03.2020 as Holi holidays and suffix 13.03.2020 to 15.03.2020 as local holiday and holidays of 2nd Saturday and Sunday, for the purpose of home town LTC.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

June 11, 2020

No. 121/XIV-25/Admin.A/2008--Ms. Savita Chamoli, Additional Judge, Family Court, Dehradun is hereby sanctioned child care leave for 33 days *w.e.f.* 28.01.2020 to 29.02.2020 with permission to suffix 01.03.2020 as Sunday holiday, in terms of Office Memorandum No. 11/XXVII(7)34/2011 dated 30.05.2011, issued by Government of Uttarakhand.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 23 हिन्दी गजट/239–भाग 1–क–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।